26.[illegible] पत्रावली [illegible]

शीघ्र
उपखण्ड अधिकारी मण्डल

4.3.21 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पारित है। पत्रावली दिनांक 12.3.21 को पेश हो।

शीघ्र
उपखण्ड अधिकारी मण्डल

12.3.21 पत्रावली पेश हुई, अधिवक्तागण द्वारा ... कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने ... पत्रावली दिनांक [illegible] को पेश हो।

23.3.21 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / ... रखा है। पत्रावली दिनांक 26.3.21 को पेश हो।

शीघ्र
उपखण्ड अधिकारी मण्डल

26.3.21 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान अपनी खातेदारी आराजी नं. 1862 भूमि मे आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 की आराजी नं. 1859, 1858 भूमि की उत्तरी दिशा की मेड के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम दिशा मे स्थित प्रार्थीगण की आराजी तक 20 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की। जबकि अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 के अधिवक्ता ने अपने जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की।

मैने पत्रावली का [illegible] किया तथा उभयपक्षों की बहस पर [illegible] तथा तहसीलदार माण्डल की [illegible] का अध्ययन किया जिसमे बताया गया कि आराजी नं. [illegible] 9

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:58:15 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जो खातेदारी गोपाल वगैरह के नाम दर्ज रिकार्ड है के पूर्वी दिशा मे होते हुए अपनी माता की आराजी नं० 1860 मे होकर पूर्व मे आ जा रहे है। आराजी नं० 1859/1 रकबा 0.04 पर रास्ता बना हुआ है जिससे होकर जाता है। जो वाद पत्र मे शामिल नही है एंव प्रार्थना पत्र पेश किया काबिल खारीज किये जाने योग्य है। जो वह मिथ्या तथ्य अंकित किया हुआ है। वह

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे असफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:58:15 IST
Reason: SelfAttested